Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

निम्नांकित व्याख्याताओं को निजी प्रयोजन से विदेश यात्रा हेतु अनुमति स्वयं के खर्चे पर निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं	कार्मिक का नाम	विषय	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा अवधि	विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित स्थान
1	MRIDULA SHARMA	वाणिज्य	22.09.1965	GSSS SANGANER-JAIPUR	दिनांक 18.05.2022 से 18.06.2022 तक 31 दिवस	USA
2	PAHALWAN SINGH	इतिहास	03.02.1971	GSSS DEENGARH, SANGARIA-HANUMANGARH	दिनांक 18.05.2022 से 28.06.2022 तक 42 दिवस	CANADA
3	PRITI TOMAR	इतिहास	12.04.1970	GSSS LUNIYAWAS, SANGANER CITY-JAIPUR	दिनांक 15.08.2022 से 15.09.2022 तक 32 दिवस	LONDON

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

1 कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।

2 कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नही ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा मान जायेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3 एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।

4 विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5 सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृत से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे:–

i कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्थान का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा

ii कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

iii कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।

iv कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बीत/विचाराधीन नहीं है।

6 विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधित हेतु ही मान्य है।

7 विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नंबर आदि सूचित करेंगे।

8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नही किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।

9 विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।

11 विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/सी–2/विदेश अनुज्ञा/इति–वाणि/2022 दिनांक 01.04.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा............................
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.................
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य,
5. संबंधित कार्मिक........................
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

आजादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति–निम्नांकित शर्तो के आधार पर दी जाती है:–

क्र.सं.	नाम कार्मिक, विषय मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1.	अर्चना खण्डेलवाल, जीव विज्ञान, डाईट कोटा	निजी कार्य करने हेतु अवधि दिनांकः दिनांक 10.07.2022 से 20.08.2022 तक (42 दिवस)	आम्सटलवेन, निदरलैण्ड
2.	रतन रानी पारीक राउमावि सांगानेर जयपुर	निजी कार्य करने हेतु अवधि दिनांकः 18.05.2022 से 30.06.2022 तक (42 दिवस)	सनीवेल, संयुक्त राज्य अमेरिका

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नही होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमो के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नही किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नही किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कार्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढाया नही जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नही करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहां–जहां पर रहेंगें उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नही करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नही है।
    (ब) कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लंबित/विचाराधीन नही है।
    (स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नही हों।
    (द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजो को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/विदेश यात्रा अनुमति/वो.2/2019–20 दिनांकः– 01.04.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य...।
4. संबंधित कार्मिक..।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)